फर्द अहकाम

(नियम 26)

[redacted]त उपखण्ड अधिकारी मुकाम भादरा

वि० लिच्छुराम आदि बनाम बलबीर आदि

किस्म मुकदमा रास्ता नं. 37/23.06.18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
23-06-18	आज यह पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हाजिर [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] (हस्ताक्षर)	मु॰ परसिंह मनीराम बलबीर सन्दीप कुमार अ॰नि॰ नारायणी अ॰नि॰ श्रवण अ॰नि॰ रामदेई पहचानकर्ता ह॰ [illegible]
20/7/18	आज यह पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] 2 [illegible] 5 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (हस्ताक्षर)	अ॰नि॰ [illegible] पहचान कर्ता ह॰ [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	अभ्यार्थी क्र0 2 व 5 दोनों उपस्थित। अतः अभ्यार्थी क्र0 5 के जमानत की एवज में अभ्यार्थी क्रमांक 2 के बीच [illegible] [illegible] होने [illegible] [illegible] मामले की । अतः प्रार्थना पत्र [illegible] पर स्वीकार किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] RW

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :– 37/18

अनवान :

1. लिच्छूराम
2. भूप सिंह
3. मनीराम

पुत्रान हरिराम जाति जाट निवासीगण गांधीबडी तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेई पत्नी रामचन्द्र जाति जाट साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. संदीप कुमार पुत्र बृजलाल ब्राह्मण साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. नारायणी पुत्री बृजलाल ब्राह्मण साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. बलवीर पुत्र चन्दूराम जाति जाट साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।
5. श्रवण पुत्र आदराम जाति जाट साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति हेतु

संसोधित निर्णय दिनांक :– 20.07.2018

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 SDR के खाता संख्या 45 व 73 में पहुँचने के लिय रास्ता नही है। अतः चक 3 SDR के मु0न0 22 के किला न0 1 ता 5 व मु0न0 21 के किला न0 1 ता 3 में रास्ता स्वीकृति करने हेतु निवेदन किया है, तथा प्रार्थीगण में रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण को भूमि देने के लिये सहमत है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सभी पक्षकार उपस्थित आये तथा अप्रार्थीगण ने 100/– के स्टाम्प पेपर पर रास्ता के लिये सहमति दी है एवं रास्ता की एवज में भूमि लेना चाहते है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में से मु0न0 18 के किला नं0 17 व 24 , मु0न0 21 के किला न0 4 व 7 में भूमि देने के लिये सहमत है।

अतः उभयपक्ष की सहमती व राजीनामा के आधार पर प्रार्थना–पत्र रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही चक 3 SDR के मु0न0 22 के किला न0 1 में 0.012 है0, किला न0 2 में 0.013है0, किला न0 3/2 में 0.013 है0, किला न0 4 में 0.013 है0, किला न0 5 में 0.013 है0, तथा मु0न0 21 के किला न0 1 में 0.013 है0, किला न0 2 में 0.013 है0, किला न0 3 में 0.013 है0, में उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के एवज में प्रार्थीगण लिच्छूराम वगैरा के खाते की भूमि चक 3 SDR के मु0न0 18 के किला न0 17 में 0.016 है0, किला न0 24 में

0.016 है0 व मु0न0 21 के किला न0 4 में 0.016 है0, किला न0 7 में 0.017 है0 कुल 0.065 है0 भूमि पश्चिम तरफ अप्रार्थी रामदेई के नाम दर्ज रिकार्ड की जावे तथा चक 3 SDR के खाता संख्या 73/56 में आप्रार्थी संख्या 5 श्रवण के खाते से मु0न0 22 के किला न0 5, 6, 15 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा भूमि पश्चिम दिशा मे कम की जाकर अप्रार्थी संख्या 2 सन्दीप कुमार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.7.18

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ